तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 88 / 2023 दिनेश कुमार बनाम दौलतराम वगै0 प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम शिशियां पटवार हल्का बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 748 / 431, 750 / 432 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टर भूमि अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आये दिन प्रार्थी के खेत की सीमा से छेड़छाड़ करते हैं तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा हो जाते हैं। प्रार्थी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश से दिनांक 16.06.2022 को करवाया है जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार ही अपनी भूमि के चारों ओर पत्थरगडी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पत्थरगडी के आदेश दिये जावें। जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र जरिये वाद मित्र के रूप में पिता महेन्द्र सिंह द्वारा पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। इस भूमि के खातेदारी अधिकार किस आधार पर प्राप्त किये यह प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। सीमा पर विवाद संबंधी गलत तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं। मौके पर अप्रार्थीगण की कुछ भूमि को दबा रखा है। सीमाज्ञान के समय भी अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये ओर नाही प्रार्थी ने अपनी चतुर्थ सीमा के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 748 / 431, 750 / 432 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार साबित है। सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.06.2022 का भी अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट पर किसी भी अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। चूंकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है अतः पुनः सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम शिशियां पटवार हल्का बीबासर तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 748 / 431, 750 / 432 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.52 हैक्टर कृषि भूमि का पुनः सीमाज्ञान करवाकर उभय पक्षकारान की मौजूदगी में मौके पर कब्जा काश्त का विवाद ना होने की स्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूला जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह यानि पत्थरगडी करवाये। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। 04/04/25 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	